## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 2019/00263** **दायरा दिनांक : 04.12.2019**

**उनवान**

1. किशनलाल आत्मज भैरिया, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. छीतरलाल आत्मज भैरिया, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
3. मंगीलाल आत्मज भैरिया, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
4. छोट्या आत्मज भैरिया, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

**बनाम**

1. चतरा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   - 1/1. जानकीलाल आत्मज स्वर्गीय चतरा, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
   - 1/2. महावीर आत्मज स्वर्गीय चतरा, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
   - 1/3. जानकीबाई आत्मज स्वर्गीय चतरा, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
   - 1/4. पुष्पाबाई आत्मज स्वर्गीय चतरा, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज
3. बाबूलाल पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
4. रामहेत पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
5. सुगनाबाई पत्नि रामदयाल, जाति माली, निवासी जलवाड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ0 पी0 मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 लगायत 1/2, 3 व 4
तथा श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5 की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 21.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 43/2019 निर्णय दिनांक 16.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1/1 से 1/4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता चतरा पुत्र बलदेवा, जाति धाकड, निवासी जलवाडा द्वारा दिनांक 13.12.1996 को एक दावा न्यायालय उपजिला कलेक्टर, शाहबाद के यहां प्रस्तुत किया था जिसका वाद कमांक 114/96 निर्णय दिनांक 07.01.2000 से आपसी राजीनामा के आधार पर निर्णय/डिक्री जारी की गई थी। मुताबिक निर्णय प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता वादी चतरा के खाते में आराजी खसरा नं. 469 कुल रकबा 18.18 बीघा में से 17.05 बीघा पर खातेदारी स्वीकार की गई थी तथा शेष आराजी खसरा नं. 469 रकबा 1.13 बीघा एवं खसरा नं. 470 रकबा 15.11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 17.05 बीघा प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 के खाते दर्ज की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 16.09.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अदालत मातहत ने अपने आदेश एवं निर्णय दिनांक 16.09.2019 से रेस्पोडेंट कम 1/1 लगायत 1/4 का प्रार्थना पत्र जैर अपील निर्णय दिनांक 16.09.2019 से स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के स्वीकार होने की स्थिति में आ गई है इसलिए आराजी को खुर्द–बुर्द करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. में पूर्व स्थिति बहाली के पश्चात रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखने बाबत राजस्व रिकार्ड में नोट अंकित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय दिनांक 16.09.2019 खिलाफ कानून, न्याय, समन्याय एवं विधि के विपरीत है और निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण का कथन रहा है कि दिनांक 13.12.1996 को एक दावा न्यायालय उपजिला कलेक्टर, शाहबाद के यहां वाद कमांक 114/96 निर्णय दिनांक 07.01.2000 से आपसी राजीनामा के आधार पर निर्णय/डिक्री जारी की गई। मुताबिक निर्णय प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता वादी चतरा के खाते की आराजी खसरा नं. 469 कुल रकबा 18.18 बीघा में से 17.05 बीघा पर खातेदारी स्वीकार की गई थी तथा शेष आराजी खसरा नं. 469 रकबा 1.13 बीघा एवं खसरा नं. 470 रकबा 15.11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 17.05 बीघा प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 के खाते दर्ज की गई थी। यह प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील हुई तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश हुई। निर्विवाद रूप से राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय के पश्चात कथित विवादित भूमि के अपीलांट/अप्रार्थीगण कम 1 ता 4 खातेदार बने हैं जिसके बाबत अब रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को आपत्ति करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की स्पष्ट अवमानना की है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/अपीलांट को विशेष हर्जा दिलवाते हुए निरस्त करना चाहिए था। किन्तु अपने निर्णय से अदालत मातहत ने न्यायिक सिद्धांतों की घोर अवहेलना की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अदालत मातहत में अप्रार्थीगण की स्पष्ट जवाबदेही रही है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से संधारणीय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 6, 7, 8 के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं. 469/1 रकबा 17.05 बीघा भूमि की पूर्व की स्थिति सम्वत 2052–2055 की जमाबंदी अनुसार पूर्व स्थिति कायम किये जाने के उक्त आराजी इन्तकाल नं. 456 विधि अनुसार विक्रय इकरारनामा तहरीर मिति सावन सुदी 9 सम्वत 2015 की पालना में तस्दीक किया गया है जो पूर्णतया वैध है। इन्तकाल नं. 456 विधिनुसार खोला जाना एवं विवादित आराजी 700/– रूपये में जर्ये इकरार विक्रय तहरीर मिति सावन सुदी 9 सम्वत 2015 लेखबद्ध करवा कर चतरा द्वारा भेरिया को विक्रय किया गया था। उक्त भेरिया के अपीलांट्स जायज वारिस एवं विधिक उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/प्रार्थी 70 वर्ष पूर्व किये गये संव्यवहार के बाबत अब किसी भी प्रकार की आपत्ति करने को सक्षम नहीं है।

विबन्धन (एस्टोपल) के सिद्धांतों के अनुसार अब प्रार्थी/रेस्पोडेंट को आपत्ति करने का कोई अधिकार शेष नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य था जो न कर विधि की घोर अवहेलना हुई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जैर अपील निर्णय/आदेश दिनांक 16.09.2019 निरस्त फरमाया जावे जिससे अपीलांट/अप्रार्थी नं. 1 ता 4 अपनी भूमि का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग–उपभोग कर सके, भूमि का बहेतर उपयोग कर सके।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.10.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका आदेश दिनांक 16.09.2019 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हमने अपील पेश की है। धारा 144 में पूर्व स्थिति बहाली के बाद स्थगन किया जो कन्डीशनल है। धारा 144 का केस रेवेन्यु बोर्ड में पेण्डिंग है। मूल पत्रावली रेवेन्यु बोर्ड से रिमाण्ड हुई उसके बाद धारा 212 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ। रेवेन्यु बोर्ड का निर्णय प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1/1, 1/2, 3 व 4 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने सभी दस्तावेज पेश किये हैं। प्रतिवादी ने केवल कब्जे के आधार पर जवाब में खातेदारी बांधने के लिए कथन किया। सन् 1999 में राजीनामा हुआ, तहरीर जारी हुई, रिकार्ड में अमल दरामद हुआ उसके पश्चात् बेचान हुआ। रेवेन्यु बोर्ड में दावा मूल निगरानी में पेण्डिंग है। दावे का रिकार्ड पेश है। यदि अस्थायी

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निषेधाज्ञा खारिज की जाती है तो भूमि का विक्रय हो जायेगा और हमारे हित प्रभावित होगे। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 5 ने कथन किया कि 1984 में भैरू के वारिसान ने फर्जी तहरीर 701/– रूपये की 40 बीघा बताकर आधी जमीन बेचने का करार किया। इकरारनामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 28.02.84 खोला गया। यह नामान्तरकरण मृतक भैरू के पक्ष में 1984 में खोला गया। जबकि भैरू की मृत्यु सन् 1976 में हो चुकी है। दूसरा नामान्तकरण सं. 457 दिनांक 23.07.1984 पुनः खोलकर वारिसान के नाम 1/2–1/2 सम्पूर्ण आराजी आ गई। दोनों पक्षकारों के मध्य दिनांक 16.11.1999 को राजीनामा हुआ जिसमें प्रतिवादीगण की पहचान श्री ओ.पी. मेहता –।। अभिभाषक द्वारा की गई। दिनांक 07.01.2000 के राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री हुआ जिसमें खसरा नं. 469 की 18 बीघा 18 बिस्वा में से 17 बीघा 5 बिस्वा पश्चिम की भूमि वादी चतरा को दी गई, शेष प्रतिवादीगण के खाते रही। 2006 के आस–पास चतरा की मृत्यु हुई जमीन वारिसान के नाम दर्ज हुई। मृतक चतरा की पुत्री जानकीबाई ने अपना 1/8 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेंट क्रम 3 व 4 को बेचान किया और चतरा की पत्नी पुष्पा ने अपना हिस्सा रेस्पोडेंट क्रम 5 सुगना को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया। दोनों विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हो गई। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 723, आर.आर.डी. 2016 पेज 464, आर.आर.डी. 1975 पेज 379 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली व अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। जो अपीलांट 1 ता 4 के पिता भैरिया तथा रेस्पोडेंट 1/1 ता 1/4 के पिता व पति स्वर्गीय चतरा के सामुहिक खाते दर्ज रही है। स्वर्गीय चतरा के हिस्से की 1/2 आराजी नामान्तरकरण संख्या 456 सादा कागज पर निष्पादित तहरीर एवं कब्जे के आधार पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 28.02.1984 को सहखातेदार भैरिया के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस प्रकार विवादित सम्पूर्ण आराजी भैरिया पुत्र बलदेवा के खाते दर्ज हो गई। चतरा पुत्र बलदेवा द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में 1996 में दावा पेश किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर निर्णय/डिक्री जारी कर वादी चतरा के पक्ष में खसरा नं. 469 कुल रकबा 18.18 बीघा में से 17.05 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्रदान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

किये गये तथा शेष आराजी प्रतिवादी अपीलांट 1 ता 4 के खाते दर्ज की गई। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील की गई जो खारिज होने पर द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.03.2011 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खारिज कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.11.1999 पर पुनः पक्षकारान की पहचान कर तस्दीक करें। यदि पक्षकारान राजीनामे से इन्कार करते हैं तो मूल वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रकिया की पालना करते हुए अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावे। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के इस निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दिनांक 18.03.2014 को दर्ज रजिस्टर्ड कर सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये । इन तथ्यों की पुष्टि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.03.2014 की प्रमाणित प्रति से होती है। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौराने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.05.2019 स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2000 से पूर्व की राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति पुनः बहाल किये जाने के आदेश पारित किया। मूल वाद निस्तारण से पूर्व पारित अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से विवादित आराजीयात अपीलांट के खाते दर्ज होने के आदेश पारित होने के कारण रेस्पोडेंट 1/1 ता 1/4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलांट क्रम 1 ता 4 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर आराजी खसरा नम्बर 469/1 रकबा 17.05 बीघा (पुराना खसरा नं. 469 रकबा 18.18 बीघा जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055) ग्राम जलवाडा को ता फैसला दावा रहन, बेचान, खुर्द बुर्द न करें तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 6, 7, 8 के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी व हस्ताक्षेप न स्वयं करें, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे इस आशय की प्रार्थना की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.09.2019 से स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया कि धारा 144 का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से विवादित आराजी पूर्व स्थिति में आ गई है जिससे अप्रार्थीगण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य है। धारा 144 में पूर्व स्थिति बहाली के पश्चात रिकॉर्ड मौके की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखने बाबत राजस्व रिकॉर्ड में नोट अंकित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2000 से विवादित आराजी स्वर्गीय चतरा के वारिसान जानकीलाल, महावीर पुत्र चतरा, जानकी बाई पुत्री चतरा व पुष्पाबाई बेवा चतरा के नाम दर्ज हो जाने के कारण पुष्पाबाई बेवा चतरा द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र केता सुगनाबाई पत्नी रामदयाल को एवं जानकीबाई पुत्री स्वर्गीय चतरा द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र केता बाबूलाल, रामहेत पुत्र छोटूलाल को बेचान करने पर जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार क्रमशः नामान्तरकरण संख्या 1825 व 1888 से केता के नाम दर्ज हुई। उक्त केतागण प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट नं. 3 ता 5 के रूप में पक्षकार है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 144 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 07.01.2000 से राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व की बहाल करने के आदेश पारित करने पर वर्तमान में सम्पूर्ण विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलांट के नाम दर्ज हो चुकी है जबकि विवादित आराजी में उभयपक्ष के हक व हिस्से का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में निर्धारित होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व की स्थिति बहाली के पश्चात रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति ता फैसला बनाये रखने का जो आदेश जारी किया है वह विधि सम्मत व न्यायोचित होने से यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा